

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा (राज.)

कमांक :-

79

दिनांक :- 11.12.2024

:: रिमाण्ड ड्यूटी बाबत कार्यालय आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं **नगेन्द्र सिंह, आर.जे.एस., मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा** निम्नवत् आदेश पारित करता हूँ कि माह **दिसम्बर 2024** के निम्नांकित राजकीय अवकाशों में भीलवाड़ा जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य (जैसे कि न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड, पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड, प्रोटोकॉल, मृत्यु समीक्षा, मृत्युकालीन कथन, जमानत प्रार्थना पत्र एवं अन्य) को निम्नानुसार अधिकृत न्यायिक अधिकारीगण द्वारा निष्पादित किया जावेगें—

क्र. सं.	दिनांक	नाम अधिकारी	क्षेत्राधिकारिता	पुलिस आरक्षी केन्द्र
01.	25.12.2024	प्रथम जोन, द्वितीय जोन व तृतीय जोन श्री श्याम शर्मा, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, आसीद जिला भीलवाड़ा मो.न. 9057291452	भीलवाड़ा जिला न्यायक्षेत्र में स्थित समस्त न्यायालय	भीलवाड़ा जिला न्यायक्षेत्र में स्थित समस्त पुलिस थाना
02.	28.12.2024	प्रथम जोन, द्वितीय जोन व तृतीय जोन सुश्री प्रियंका चौहान, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-03, भीलवाड़ा मो.न. 9166817710	भीलवाड़ा जिला न्यायक्षेत्र में स्थित समस्त न्यायालय	भीलवाड़ा जिला न्यायक्षेत्र में स्थित समस्त पुलिस थाना
03	29.12.2024	प्रथम जोन, द्वितीय जोन व तृतीय जोन सुश्री भारती उपाध्याय, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन. आई. एक्ट संख्या-04, भीलवाड़ा मो.न. 9785832494	भीलवाड़ा जिला न्यायक्षेत्र में स्थित समस्त न्यायालय	भीलवाड़ा जिला न्यायक्षेत्र में स्थित समस्त पुलिस थाना
04	01.01.2025	प्रथम जोन, द्वितीय जोन व तृतीय जोन श्री रोहित बेनीवाल, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा मो.न. 9799651904	भीलवाड़ा जिला न्यायक्षेत्र में स्थित समस्त न्यायालय	भीलवाड़ा जिला न्यायक्षेत्र में स्थित समस्त पुलिस थाना

निर्देश :-

- 01— यह कि अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय **प्रातः 11 से दोपहर 02:00 बजे** तक रहेगा।
- 02— अधिकृत किये गये न्यायिक अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्यदिवस के कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्पूर्व कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
- 03— यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चात्पूर्व दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही न्यायिक अधिकारी उक्त कार्य करेंगे, जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिये नियत किये गये थे।
- 04— नियत किये गये दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत न्यायिक अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य न्यायिक अधिकारी की लिखित सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करेंगे।


 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 भीलवाड़ा


(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट)
भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक :- 2738

दिनांक :- 11.12.2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भीलवाड़ा
2. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
3. उपरोक्त समस्त न्यायालय
4. लोक अभियोजक, जिला न्यायालय भीलवाड़ा
5. अक्षय/सचिव, बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर, भीलवाड़ा
6. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग, भीलवाड़ा
7. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, भीलवाड़ा
8. जिला कारागृह, भीलवाड़ा
9. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, भीलवाड़ा सभी पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालयों को मेल करें तथा जिला न्यायालय, भीलवाड़ा की वेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करें।
10. आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा
(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट)
भीलवाड़ा (राज.)